न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:-- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 75/2012 दायर दिनॉक 19.03.2012
राजस्व वाद संख्या: 189/2018 (रेस्टोर्ड) दायर दिनॉक 13.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रहलाद दास पुत्र गोरधन दास, उम्र--85साल, जाति--स्वामी, निवासी--आस की ढाणी, तहसील--डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हरनारायण पुत्र केदारनाथ, 2. प्रहलाद पुत्र केदारनाथ, 3. मांगीलाल पुत्र केदारनाथ, 4. पन्नालाल पुत्र किशनलाल, 5. श्रीनिवास पुत्र नथमल, समस्त,जाति--ब्राह्मण, निवासी--थाणु, तहसील--डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान, 7. उप पंजीयक डीडवाना, जिला--नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा--88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:--

1. श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, वकील, वादी।

--:: निर्णय ::--

दिनॉक 30.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद थाणू में खसरा नम्बर 130 रकबा 32.00 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि पर वाद पेशगी से 50 साल पूर्व से कब्जाकाश्त वादी का है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद थाणू में खसरा नम्बर 130 रकबा 32.00 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाकर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

06 व 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी तथा उनके अधिवक्ता को बार–बार आवाजें लगाई जाने बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने से दावा बाबत् अदम हाजरी अदम पैरवी के दिनाँक 20.11.2013 को खारिज किया गया।

वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर, निवेदन किया गया कि, वादी के पिता का स्वर्गवास हो जाने से वाद खारिज होने का पता वादी को बाद में चला जिसके तुरन्त बाद वादी ने पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाने का निवेदन किया, जिस पर विचार जाकर पत्रावली को दिनाँक 13.06.2018 को पुनः नम्बर लिया जाकर वाद बतौर 189/2018 दर्ज दिनाँक 13.06.2018 को सुनवाई जारी की गयी।

वादी ने वाद के समर्थन मे, शपथ–पत्र, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि व चतुवर्षीय जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। वादी जरिये वकील उपस्थित को सुना गया, जो दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य वादी में PW–1 बजरंगलाल, PW–2 जेठाराम, PW–3 हजारीमल व PW–4 धोदूराम के शपथ–पत्र पेश हुए।

एक पक्षीय बहस विद्वान वकील वादी सुनी गयी। बहस व तर्कों पर मनन् किया। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। साक्ष्य वादी में पेश तमाम् शपथ–पत्रों में बयानात् पेश हुए हैं कि, थाणू की शरहद में खसरा नम्बर 130 रकबा 32.00 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि पर वादी व वादी के पूर्वजों का ही कब्जाकाश्त था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड चतुवर्षीय जमाबन्दी में प्रहलाद पुत्र गोरू द्वारा काश्त की जाना अंकित है। ऐसी स्थिति में, मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 75/2012, 189/2018 (रेस्टोर्ड)
दायर दिनाँक 19.03.2012, 13.06.2018 निर्णय दिनाँक 30.06.2018
प्रहलाद दास बनाम् हरनारायण, वगैरा।

साक्ष्यों के मद्दे नजर, मौजा थाणू की शरहद में खसरा नम्बर 130 रकबा 32.00 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवचेन, वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद थाणू में खसरा नम्बर 130 रकबा 32.00 बीघा भूमि का बन्टवारा, "वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, रकबा 11.00 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे की शेष भूमि रकबा 21.00 बीघा में शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 75/2012 — दायर दिनांक 19.03.2012
राजस्व वाद संख्याः 189/2018 (रेस्टोर्ड) — दायर दिनांक 13.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रहलाद दास पुत्र गोरधन दास, उम्र–85साल, जाति–स्वामी, निवासी–आस की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हरनारायण पुत्र केदारनाथ, 2. प्रहलाद पुत्र केदारनाथ, 3. मांगीलाल पुत्र केदारनाथ, 4. पन्नालाल पुत्र किशनलाल, 5. श्रीनिवास पुत्र नथमल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–थाणु, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. उप पंजीयक डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

दिनॉक 30.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी, वकील, वादी** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद थाणू में खसरा नम्बर 130 रकबा 32.00 बीघा भूमि का बन्टवारा, ''बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, रकबा 11.00 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे की शेष भूमि रकवा 21.00 बीघा में शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत..........
..........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प—डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner